राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ,
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक: एफ.11(3)10/मो./क्रेच/आईसीडीएस/13/109887-109900 जयपुर, दिनांक: 12.8.16

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
....।

विषय:– आंगनबाड़ी केन्द्र–सह शिशु पालना गृह संचालन के सबंध में।

प्रसंग:– विभागीय पत्रांक 20502–534 दिनांक 19.02.2016 तथा 57829–838 दिनांक 06.05.2016, 86116–130 दिनांक 30.06.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृहों की चयन से शेष रही कार्यकर्ताओं का चयन कर प्रशिक्षण हेतु नामांकन भिजवाने हेतु पूर्व में भी आपको समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। लेकिन पूर्ण सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है। शासन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया जा रहा है।

अतः इस संदर्भ में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हाने वाली विशेष ग्रामसभा में अपने जिले की शेष रही सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सह शिशु पालना गृह की कार्यकर्ताओं का चयन कर प्रशिक्षण हेतु नाम विभागीय ई–मेल **jdm.wcd@rajasthan.gov.in** पर भिजवाना सुनिश्चित करें। जिससे की आंगनबाडी केन्द्र सह शिशु पालना गृह पर दी जाने वाली सेवाएं और बेहतर हो सके।

संयुक्त निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.11(3)10/मो./क्रेच/आईसीडीएस/13/109901-928 जयपुर, दिनांक 12-8-16
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र भेजकर लेख है कि आपकी परियोजना में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र–सह शिशु पालना गृह की चयन से शेष रही कार्यकर्ताओं का शीघ्र चयन कर प्रशिक्षण हेतु नाम उप निदेशक कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
2. उप निदेशक प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. ACP मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।

सहायक निदेशक (मो.)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर